



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 28 अक्टूबर, 2015

कार्तिक 6, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग

संख्या 2845/55-पर्या०/15-99(पर्या०)-13

लखनऊ, 28 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

सा०प०नि०-65

चूँकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय है कि फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए भूसा के जलाये जाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है।

2-अतएव, अब, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 19 की उप धारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त बचे हुए भूसे को जलाया जाना प्रतिषिद्ध करते हैं।

आंजा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 2845/55-Parya./15-99(Parya.)-13, dated October 28, 2015:

No. 2845/55-Parya-15-99(Parya)-13

Dated Lucknow, October 28, 2015

WHEREAS the State Government after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is of the opinion that the burning of left-over straw after harvesting of the crops causes air pollution.

NOW, THEREFORE in exercise of the powers under sub-section (5) of the Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor hereby prohibits the burning of the said left-over straw in the State of Uttar Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,
SANJIV SARAN,
Pramukh Sachiv.